सन्तारा देवी - शाहि कंदिर कु. न. 37/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
31.1.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाबत बहस दिनांक 14.2.25 को पेश हो।	Q.P
14.2.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाबत बहस दिनांक 5.3.25 को पेश हो।	
5.3.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने काम स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 22.4.25 को पेश हो।	
22.4.25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज S.P.W पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 5.5.25 को पेश होवे 5.5.25	Natmal 5/5/25 स्थायी वकील
5.5.25	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गयी पत्रावली बाद आदेश दिनांक 14.5.25 को पेश हो।	
14.5.25	पत्रावली पेश। रीडर -छुट्टी पर है। आदेश नहीं लिखवाया जा सका पत्रावली बाद आदेश दिनांक 15.5.25 को पेश हो।	
15.5.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
[illegible]

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 37 / 2023

1 सन्तरा देवी उम्र 55 साल पत्नी महावीर प्रसाद बिजारणियां जाति जाट निवासी ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर मो. 9785512900

अपीलांटस

बनाम

1 मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी वाके ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये पुजारी श्रीमती पानकी देवी उम्र 70 साल पत्नी पुजारी स्व. श्री भगवानपुरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 भूमिधारी तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर क्रम–1 महोदय सीकर प्रकरण सन्तरा देवी बनाम मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी वगै. मुकदमा नम्बर 65 / 2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2023

उपस्थिति :
1. श्री कैलाश स्वामी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राधाकृष्ण स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 15/5/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 65/2020 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने धारा 53, 88, 188 का वाद प्रस्तुत कर ग्राम पलसाना के खसरा नम्बर 2036/4565, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2061, 2033, 2044, 2063 की खातेदारी की उद्घोषणा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादिया/अपीलान्ट को दावे के प्रश्नगत कृषि भूमियां जरिये वसीयत दिनांक 03.10.2002 के द्वारा खातेदार रामेश्वर दास स्वामी चेला भूरादास के द्वारा प्राप्त हुयी है। वर्तमान कृषि भूमि खाता संख्या 803 वाके ग्राम पलसाना में वर्तमान खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी कुल किता 81 कुल रकबा 34.7930 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चली आ रही है। उक्त खाते में वर्णित कृषि भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 1181 रकबा 22 बीघा 12 बिश्वा, खसरा नम्बर 1182 रकबा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 1183 रकबा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 1184 रकबा 6 बीघा 5 बिश्वा कुल रकबा 30 बीघा 9 बिश्वा थे जिसकी खातेदारी संवत 2033 से 2036 तक इस प्रकार से थी 'रतनपुरी, गणपतपुरी पुत्रगण लक्ष्मीपुरी हिस्सा 1/4, रामेश्वर दास चेला भूरादास हिस्सा 1/4 जाति स्वामी, बक्सा पुत्र चोखा हिस्सा 1/8, काना, कजोड़ पुत्र रूघा हिस्सा 1/16, नाथू पुत्र मांगू हिस्सा 1/16, शिम्भु, रामदेवा, मोटा, बोदु, नानू पुत्रगण भूरा हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी पलसाना' अंकित थी। नामान्तकरण संख्या 1341 ग्राम पलसाना दिनांक 13.09.1978 के द्वारा दावे में प्रश्नगत उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी इस प्रकार खातेदारी में अंकन कर दिया जो इस प्रकार से है 'मूर्ति मन्दिर श्री महादेव वहतमाम पुजारी रतनपुरी, गणपतपुरी पुत्रगण लक्ष्मीपुरी हिस्सा 1/4 बाकि बदस्तुर 3/4' रही। पैमाईश के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के व बिना किसी न्यायालय के निर्णय के उक्त संपूर्ण भूमियों की खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वाके ग्राम पलसाना प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम अंकित कर दी मूर्ति मन्दिर महादेव जी की खातेदारी में केवल हिस्सा 1/4 की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 1341 ग्राम पलसाना के द्वारा दी गयी थी शेष 3/4 हिस्सा तत्कालिन खातेदारों के नाम खातेदारी में बदस्तुर साबिग बहाल रही थी इस तथ्य का अंकन जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 व जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 के अवलोकन से भी स्पष्ट है। तत्कालीन खातेदारी रामेश्वर दास चेला भूरादास स्वामी जाति स्वामी हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार था जिसने पंजीकृत वसीयत दिनांक 03.10.2002 के द्वारा वादिया को दे दी रामेश्वरदास की मृत्यु दिनांक 10.05.2003 को हो चुकी है रामेश्वरदास की मृत्यु के पश्चात ही वादिया उक्त कृषि भूमियों पर काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया को वसीयत से प्राप्त कृषि भूमियों जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 2036/4565 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2034 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2035 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.9400 हैक्टेयर में से 0.6800 हैक्टेयर पूर्वी तरफ की, खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.0300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2061 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.8500 हैक्टेयर में से 0.0200 हैक्टेयर पूर्वी ओर की, खसरा नम्बर 2044 रकबा 0.400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2063 रकबा 0.1700 हैक्टेयर में से 0.0500 हैक्टेयर पश्चिमी ओर की भूमि पर काबिज काश्त है जिसकी खातेदारी वादिया अपने नाम उद्घोषित करवाने की कानूनन अधिकारिणी है। वादिया की खातेदारी की कृषि भूमियों की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अंकित कर दिये जाने से वादिया के खातेदारी अधिकारों पर विपरित असर हुआ है इस कारण वादिया को उक्त भूमियों की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। दावे में प्रश्नगत कृषि भूमियां जो व्यक्तिगत खातेदारी की कृषि भूमियां मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में केवल 1/4 भागी की ही भूमि खातेदारी में थी लेकिन सम्पूर्ण कृषि भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बिना किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भू–प्रबन्ध/राजस्व कर्मचारियों द्वारा कर दिये जाने के कारण वादिया को खातेदारी उद्घोषित करवाने व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का वाद कारण पैदा हुआ। भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों अथवा राजस्व कर्मचारियों को वादिया की खातेदारी की कृषि भूमियों की खातेदारी बिना किसी सक्षम अधिकारी अथवा बिना किसी न्यायालय के आदेश के बदले जाने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं था इसके बावजूद वादिया की खातेदारी की कृषि भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अंकित कर दिये जाने से वादिया को सख्त हकतलफी है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकन किया है कि वादिया ने संवत 2012 से 2026 तक का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जबकि सही स्थिति यह है कि वादिया ने नामान्तकरण संख्या 360 वाके ग्राम पलसाना प्रस्तुत किया गया है जो अधिकृत तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.12.1966 को भरा गया जो इस प्रकार से है 'यह नामान्तकरण आज्ञा तहसील भरा गया है खाता नम्बर 11 में अंकित आसामियों का कब्जा लगातार संवत 2012 से चला आ रहा है अतः वास्ते स्वीकृत पेश है' तथा तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अंकित किया गया है कि ' यह नामान्तकरण आज पेश हुआ मुताबिक गिरदावरी कब्जा संवत 2012 से काश्त के रूप में चला आ रहा है अतः नामान्तकरण इनके हक में स्वीकृत किया जाता है' इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण दफा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भरा गया है जिसका अंकन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में भी दफा 19 का नोट अंकित है तथा पूर्व में भूमियों की स्थिति बाबत भी इसी नामान्करण के कॉलम संख्या 4 में भू–धारक के कॉलम में राजस्थान सरकार है जिसका अर्थ हय हुआ कि प्रश्नगत भूमियों की छोटी धार्मिक जागीरे राजस्थान सरकार द्वारा रिज्यूम की जाकर भू–धारक के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा रिज्यूम की जाकर भू–धारक के रूप में राजस्थान सरकार मालिक हो गयी उसके पश्चात लगातार कब्जा काश्त होने के कारण दफा 19 के तहत खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्राप्त हुयी है तथा उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 5 में अंकन इस प्रकार से था 'भगवानपुरी पुत्र लादुपुरी हिस्सा 1/2 व रतनपुरी, मानपुरी, गणपतपुरी, सोहनपुरी, मूलापुरी पिता लक्ष्मीपुरी हिस्सा 1/2 कौम स्वामी अंकन है तथा उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के पश्चात नामान्तकरण के कॉलम संख्या 11 में कब्जा काश्त के मुताबिक व उक्त नामान्तकरण के आधार पर खातेदारी दुरूस्त की जाकर खातेदारी इस प्रकार से रही रतनपुरी, गणपतपुरी पिता लक्ष्मीपुरी हिस्सा 1/4, रामेश्वर दास स्वामी चेला भूरादास हिस्सा 1/4, बक्सा पुत्र चोखा हिस्सा 1/8, मांगू वगै. 1/8, भूरा पुत्र कालू हिस्सा 1/4 अंकित है' इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत भूमियां जरिये नामान्तकरण संख्या 360 ग्राम पलसाना के द्वारा दफा 19 के तहत भूमियां प्राप्त हुई है इससे स्पष्ट है कि वादिया उक्त भूमियों पर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तभी से काबिज खातेदार काश्तकार है इसी आधार पर नामान्तकरण संख्या 360 दिनांक 05.12.1966 को तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण संख्या 360 तस्दीक किये जाने के पश्चात उसका अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2029 से 2032 व जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 में भी अंकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 1980 दिनांक 18.05.1989 राजस्व अभियान में भरा गया है जिसमें रिकार्डेड खातेदार वादिया को वसीयतकर्ता स्व. रामेश्वर दास चेला भुरा दास हिस्सा 1/4 खातेदार काश्तकार था लेकिन तहसीलदार दांतारामगढ़ ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना बाला–बाला प्रश्नगत भूमियों सम्पूर्ण की खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी के नाम अंकित कर दी जबकि मात्र हिस्सा 1/4 मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी पुजारी रतनपुरी, गणपतपुरी पुत्रगण लक्ष्मणपुरी की जगह मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी का नाम ही अंकन कानूनन किया जाना चाहिये था उक्त नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड के विपरित तस्दीक किया गया है जो प्रारम्भतः ही शुन्य है क्योंकि प्रारम्भ से ही मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी की खातेदारी में हिस्सा 1/4 की भूमियां ही खातेदारी में थी जिसकी ताईद नामान्तकरण संख्या 1341

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ग्राम पलसाना से होती है क्योंकि मूर्ति मन्दिर के खातेदारी 1/4 हिस्से की ही थी बाकी 3/4 हिस्सा बदस्तुर खातेदारी में रहा था। नामान्तकरण संख्या 360 ग्राम पलसाना से तहसीलदार द्वारा दफा 19 में कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी यह कहते हुए प्रदान की है कि कब्जा संवत 2012 से काश्त के रूप में चला आ रहा है तथा भू–धारक के कॉलम में राजस्थान सरकार दर्ज है तथा काश्तकारों के कॉलम में काश्तकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांकित 23.01.2023 निरस्त फरमायी जाकर वादिया को दावे में चाहा गया अनुतोष दिया जाकर वादिया को कृषि भूमि खसरा नम्बर 2036/4565 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2034 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2035 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.9400 हैक्टेयर में से 0.6800 हैक्टेयर पूर्वी तरफ की, खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.0300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2061 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.8500 हैक्टेयर में से 0.0200 हैक्टेयर पूर्वी ओर की, खसरा नम्बर 2044 रकबा 0.400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2063 रकबा 0.1700 हैक्टेयर में से 0.0500 हैक्टेयर पश्चिमी ओर की भूमि कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी वाके ग्राम पलसाना के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर मूर्ति मन्दिर के हितों को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी साबित नहीं मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान कृषि भूमि खाता संख्या 803 वाके ग्राम पलसाना में वर्तमान खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी कुल किता 81 कुल रकबा 34.7930 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चली आ रही है। उक्त खाते में वर्णित कृषि भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 1181 रकबा 22 बीघा 12 बिश्वा, खसरा नम्बर 1182 रकबा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 1183 रकबा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 1184 रकबा 6 बीघा 5 बिश्वा कुल रकबा 30 बीघा 9 बिश्वा थे जिसकी खातेदारी संवत 2033 से 2036 तक इस प्रकार से है कि 'रतनपुरी, गणपतपुरी पुत्रगण लक्ष्मीपुरी हिस्सा 1/4, रामेश्वर दास चेला भूरादास हिस्सा 1/4 जाति स्वामी, बक्सा पुत्र चोखा हिस्सा 1/8, काना, कजोड़ पुत्र रूघा हिस्सा 1/16, नाथू पुत्र मांगू हिस्सा 1/16, शिम्भु, रामदेवा, मोटा, बोदु, नानू पुत्रगण भूरा हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी पलसाना' अंकित थी। नामान्तकरण संख्या 1341 ग्राम पलसाना दिनांक 13.09.1978 के द्वारा दावे में प्रश्नगत उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी इस प्रकार खातेदारी में अंकन कर दिया जो इस प्रकार से है 'मूर्ति मन्दिर श्री महादेव वहतमाम पुजारी रतनपुरी, गणपतपुरी पुत्रगण लक्ष्मीपुरी हिस्सा 1/4 बाकि बदस्तुर 3/4' रही।

यहां यह स्पष्ट प्रकट होता है कि पैमाईश के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के व बिना किसी न्यायालय के निर्णय के उक्त संपूर्ण भूमियों की खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी वाके ग्राम पलसाना प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम अंकित कर दी जबकि मूर्ति मन्दिर महादेव जी की खातेदारी में केवल हिस्सा 1/4 की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 1341 ग्राम पलसाना के द्वारा दी गयी थी शेष 3/4 हिस्सा तत्कालिन खातेदारों के नाम खातेदारी में बदस्तुर साबिक बहाल रही थी इस तथ्य का अंकन जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 व जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 के अवलोकन से भी स्पष्ट है। तत्कालीन खातेदारी रामेश्वर दास चेला भूरादास स्वामी जाति स्वामी हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार था जिसने पंजीकृत वसीयत दिनांक 03.10.2002 के द्वारा वादिया को दे दी रामेश्वरदास की मृत्यु दिनांक 10.05.2003 को हो चुकी है रामेश्वरदास की मृत्यु के पश्चात ही वादिया उक्त कृषि भूमियों पर काबिज काश्त चली आ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रही है। वादिया को वसीयत से प्राप्त कृषि भूमियों जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 2036/4565 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2034 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2035 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.9400 हैक्टेयर में से 0.6800 हैक्टेयर पूर्वी तरफ की, खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.0300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2061 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.8500 हैक्टेयर में से 0.0200 हैक्टेयर पूर्वी ओर की, खसरा नम्बर 2044 रकबा 0.400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2063 रकबा 0.1700 हैक्टेयर में से 0.0500 हैक्टेयर पश्चिमी ओर की भूमि पर काबिज काश्त है जिसकी खातेदारी वादिया अपने नाम उद्घोषित करवाने की कानूनन अधिकारिणी है।

यहां यह भी विचारणीय है कि दावे में प्रश्नगत कृषि भूमियां जो व्यक्तिगत खातेदारी की कृषि भूमियां मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में केवल 1/4 भागी की ही भूमि खातेदारी में थी लेकिन सम्पूर्ण कृषि भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भू–प्रबन्ध/राजस्व कर्मचारियों द्वारा कर दिये जाने के कारण वादिया को खातेदारी उद्घोषित करवाने व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का वाद कारण पैदा हुआ। भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों अथवा राजस्व कर्मचारियों को वादिया की खातेदारी की कृषि भूमियों की खातेदारी बिना किसी सक्षम अधिकारी अथवा बिना किसी न्यायालय के आदेश के बदले जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था इसके बावजूद वादिया की खातेदारी की कृषि भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अंकित कर दिये जाने को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकन किया है कि वादिया ने संवत 2012 से 2026 तक का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जबकि सही स्थिति यह है कि वादिया ने नामान्तकरण संख्या 360 वाके ग्राम पलसाना प्रस्तुत किया गया है जो अधिकृत तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.12.1966 को भरा गया जो इस प्रकार से है 'यह नामान्तकरण आज्ञा तहसील भरा गया है खाता नम्बर 11 में अंकित आसामियों का कब्जा लगातार संवत 2012 से चला आ रहा है अतः वास्ते स्वीकृत पेश है' तथा तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तस्दीक करने से पूर्व अंकित किया गया है कि ' यह नामान्तकरण आज पेश हुआ मुताबिक गिरदावरी कब्जा संवत 2012 से काश्त के रूप में चला आ रहा है अतः नामान्तकरण इनके हक में स्वीकृत किया जाता है' इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण दफा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भरा गया है जिसका अंकन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में भी दफा 19 का नोट अंकित है तथा पूर्व में भूमियों की स्थिति बाबत भी इसी नामान्करण के कॉलम संख्या 4 में भू–धारक के कॉलम में राजस्थान सरकार है जिसका अर्थ हय हुआ कि प्रश्नगत भूमियों की छोटी धार्मिक जागीरे राजस्थान सरकार द्वारा रिज्यूम की जाकर भू–धारक के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा रिज्यूम की जाकर भू–धारक के रूप में राजस्थान सरकार मालिक हो गयी उसके पश्चात लगातार कब्जा काश्त होने के कारण दफा 19 के तहत खातेदारी प्राप्त हुयी है तथा उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 5 में अंकन इस प्रकार से था 'भगवानपुरी पुत्र लादुपुरी हिस्सा 1/2 व रतनपुरी, मानपुरी, गणपतपुरी, सोहनपुरी, मूलापुरी पिता लक्ष्मीपुरी हिस्सा 1/2 कौम स्वामी अंकन है तथा उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के पश्चात नामान्तकरण के कॉलम संख्या 11 में कब्जा काश्त के मुताबिक व उक्त नामान्तकरण के आधार पर खातेदारी दुरूस्त की जाकर खातेदारी इस प्रकार से रही रतनपुरी, गणपतपुरी पिता लक्ष्मीपुरी हिस्सा 1/4, रामेश्वर दास स्वामी चेला भूरादास हिस्सा 1/4, बक्सा पुत्र चोखा हिस्सा 1/8, मांगू वगै. 1/8, भूरा पुत्र कालू हिस्सा 1/4 अंकित है' इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत भूमियां जरिये नामान्तकरण संख्या 360 ग्राम पलसाना के द्वारा दफा 19 के तहत भूमियां प्राप्त हुई है इससे स्पष्ट है कि वादिया उक्त भूमियों पर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तभी से काबिज खातेदार काश्तकार है इसी आधार पर नामान्तकरण संख्या 360 दिनांक 05.12.1966 को तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण संख्या 360 तस्दीक किये जाने के पश्चात उसका अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2029 से 2032 व जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 में भी अंकन किया गया। विवादित भूमि प्रारम्भ से ही मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी की खातेदारी में हिस्सा 1/4 की भूमियां ही खातेदारी में थी जिसकी ताईद नामान्तकरण संख्या 1341 ग्राम पलसाना से होती है क्योंकि मूर्ति मन्दिर के खातेदारी 1/4 हिस्से की ही थी बाकी 3/4 हिस्सा बदस्तुर खातेदारी में रहा था। नामान्तकरण संख्या 360 ग्राम पलसाना से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार द्वारा दफा 19 में कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी यह कहते हुए प्रदान की है कि कब्जा संवत 2012 से काश्त के रूप में चला आ रहा है तथा भू–धारक के कॉलम में राजस्थान सरकार दर्ज है तथा काश्तकारों के कॉलम में काश्तकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वादी साबित है फलतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांकित 23.01.2023 को अपास्त किया जाता है एवं वाद वादिया स्वीकार किया जाकर वादिया अपीलांट को कृषि भूमि खसरा नम्बर 2036/4565 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2034 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2035 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.9400 हैक्टेयर में से 0.6800 हैक्टेयर पूर्वी तरफ की, खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.0300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2038 रकबा 0.300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2061 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.8500 हैक्टेयर में से 0.0200 हैक्टेयर पूर्वी ओर की, खसरा नम्बर 2044 ~~रकबा 0.400~~ रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2063 रकबा 0.1700 हैक्टेयर में से 0.0500 हैक्टेयर पश्चिमी ओर की भूमि कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

C.A.

निर्णय आज दिनांक 15/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर